164

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०– 121 /2018

धारा–107 द०प्र०सं०

विशम्भर महतो बनाम करम लोहरा

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख सं०–एम 121 /2018 में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी सोनाहातु (रांची मोरिवा/०) के अप्राथमिकी सं०– 42/18 दिनांक– 28-8-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता नं० 84 प्लोट नं० 795 रकबा 85 डी० को दोनो पक्ष अपना अपना बता रहे है। उभय पक्ष मे विवाद है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।	
	अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बंध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नही दिया जाय।	
	अभिलेख तिथि 08/10/18 को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	19/09/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	
	19/09/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तारीख सहित
12-04-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। [signature] 12/04/19	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.26 15:09:31 +05:30
Location: 10.93.79.5